# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

## पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 1/2019

दायर तारीख 09.01.2019

**अनवान**

01 सुरेश कुमार पिता घीसीलाल जाति धोबी उम वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।
02 लक्ष्मी पत्नि सुरेश कुमार जाति धोबी उम वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाडा।

...........प्रार्थीगण

**बनाम**

भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

**उपस्थित :–**

1. श्री रामफूल धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

## निर्णय

**दिनांक :– 28.02.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की हम प्रार्थीगणों की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलिया कलां में आराजी संख्या 611/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वां भूमि स्थित हैं। जिस पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी संख्या 610 एवं आराजी संख्या 1732/611 के पूर्व सीमा से लगता हुआ व आराजी संख्या 611 मे से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 611/2 में पहुंचता है। प्रार्थीगण एवं पूर्व खातेदार कई वर्षो से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात हैं विपक्षी की आराजी संख्या 610, 1732/611, 611 रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु व ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजीयात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिय नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2019/274 दिनांक 04.02.2019 में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 610 रकबा 0–11 बीघा, आराजी नम्बर 1732/611 रकबा 5–00 बीघा, आराजी नम्बर 611 रकबा 92 बीघा में से अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 611/2 रकबा 5–09 बीघा भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट रास्ते के सम्बध में भू0अ0नि0 बिजौलिया कलां से जांच करवायी गयी। प्रार्थीगणों की ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नम्बर 611/2 रकबा 5–09 बीघा भूमि पर आने जाने के रास्ते के लिए भूमि प्रस्तावित आराजी नं0 610 रकबा 0–11 बीघा किस्म गै0मु0 भटवेड मे से 0–01 बीघा, आराजी नं0 1732/611 रकबा 5–00 बीघा किस्म भटवेड में से 0–02 बीघा एवं आराजी नं0 611

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

रकबा 92 बीघा किस्म गे0मू0 मगरी मे से 0–17 बीघा कुल किता 3 रकबा 1–00 बीघा भूमि रास्ते के लिए उपयोग में ली जायेगी। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर दर्ज नही हैं प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 107210/– प्रति बीघा से भूमि की मालियत 107210/–रूपये का दुगुना से 214420/– राशि बनती हैं।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी तहसीलदार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित रास्ता बिलानाम भूमि में से रास्ता दिये जाने में भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगणों को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम बिजौलियां कला में आराजी नम्बर 611/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वां पर पहुचने के लिए आराजी नम्बर 610 रकबा 0–11 बीघा किस्म गे0मू0 भटवेड मे से 0–01 बीघा, आराजी नं0 1732/611 रकबा 5–00 बीघा किस्म भटवेड में से 0–02 बीघा एवं आराजी नं0 611 रकबा 92 बीघा किस्म गे0मू0 मगरी मे से 0–17 बीघा कुल किता 3 रकबा 1–00 बीघा भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. 107210/– प्रति बीघा से भूमि की मालियत 107210/–रूपये का दुगुना से 214420/– राशि बनती हैं। बतौर मुहावजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत ~~रास्ता~~ राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 28.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner